

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 50th Report (Hindi and English versions) of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period from July, 2012 to June, 2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 756/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (DR. SANJEEV BALYAN): On behalf of Shri Radha Mohan Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Review* (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 757/16/14]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2012-2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 758/16/14]

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Indian Red Cross Society for the year 2012-2013 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

[Placed in Library. See No. LT 759/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष जी, मैं हैंडीक्रेफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. LT 760/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): श्री पीयूष गोयल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2014 जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/94/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (पहला संशोधन) विनियम, 2014 जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/13/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 761/16/14]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे-

- (एक) अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013-सीईआरसी-पीटी. जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (पथान्तर समाधान तंत्र और सम्बद्ध मामले) विनियम, 2013 से संबंधित 6 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013-सीईआरसी (कम सं. 06) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (दो) अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी-पीटी. जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (भारतीय विद्युत ग्रिड संविदा) विनियम, 2010 से संबंधित 7 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी (कम सं. 08) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[Placed in Library. See No. LT 762/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2012-2013.
- (ii) Annual Report of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 763/16/14]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 1234(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कासरगौड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 1235(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 71(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 505(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ. 825(अ) जो 25 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट वेइनेज)(ओरिस-तिरुवनंतपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पाँच) का.आ.1113(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 1238 (अ) जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कर्नाटक सीमा से कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का.आ. 140(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बंगलौर-चेन्नई एक्सप्रेसवे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला राजस्व अधिकारी, वेल्तोर को भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 95(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 843(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49

- जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मुंडुगोलानु-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (इकसठ) का.आ. 2573(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बासठ) का.आ. 1281(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (वेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (तेरसठ) का.आ. 305(अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपटिनम-तंजापुर-तिरुची-करूर-कोयम्बटूर-मेडुपलायम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (चौंसठ) का.आ. 476(अ) जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (पैंसठ) का.आ. 609(अ) जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (छियासठ) का.आ. 649(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर और पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (सड़सठ) का.आ. 650(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (अड़सठ) का.आ. 651(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (उनहतर) का.आ. 719(अ) जो 7 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (सत्तर) का.आ. 738(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (पंजाब/हरियाणा सीमा-जिंद-रोहतक खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (इकहतर) का.आ. 754(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बहतर) का.आ. 895(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (तिहतर) का.आ. 896(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 84 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौहतर) का.आ. 897(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 (आगरा-अलीगढ़) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।
- (पिचहतर) का.आ. 964(अ) जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 485(अ) को निरस्त किया गया है।
- (छिहतर) का.आ. 1729(अ) जो 10 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 926(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तहतर) का.आ. 2960(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2013(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठहतर) का.आ. 3820(अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (उन्नासी) का.आ. 3821(अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अस्सी) का.आ. 252(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45न (विक्रमंडी-कुंभकोनम-तंजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(इक्यासी) का.आ. 53(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वेनगलपट्टु-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(ब्यासी) का.आ. 58(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुछुनी-वेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(तिरासी) का.आ. 253(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library. See No. LT 764/16/14]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता तथा पट्टाधृत आवास) विनियम, 1997 जो 23 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/14026/10/2013-एडमिन. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 765/16/14]

(3) महापतन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) सा.का.नि. 244(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचिन पतन कर्मचारी (आवार) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया था।

(दो) सा.का.नि. 295(अ) जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्गांव पतन कर्मचारी (पेंशन निधि) संशोधन विनियम, 2014 को अनुमोदित किया गया था।

(तीन) सा.का.नि. 309(अ) जो 5 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पतन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया था।

(चार) सा.का.नि. 775(अ) जो 12 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पतन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया था।

[Placed in Library. See No. LT 766/16/14]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बाटियाल) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 767/16/14]

(2) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 768/16/14]

